न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–69/2013–14

श्री अमित कुमार आदि –बनाम– श्री समीर सौरायन आदि

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, आई0ए0एस0, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री ललित कुमार उपाध्याय।

बावत
मौजा बहादरपुर जट, परगना ज्वालापुर,
तहसील व जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा अपील संख्या–125/2012–13 अमित कुमार बनाम बिरेन्द्र पाल सिंह आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 12–02–2014 एवं सहायक कलेक्टर, घनसाली हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–28/2010–11 अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम विरेन्द्र पाल सिंह बनाम सुरेन्द्र पाल आदि में पारित आदेश दिनांक 15–09–2011 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र पाल सिंह ने वाद अन्तर्गत धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम वीरेन्द्र पाल सिंह बनाम सुरेन्द्र पाल सिंह आदि सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस वाद की कार्यवाही के दौरान निगरानीकर्तागण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वीरेन्द्र पाल के अंश की भूमि उनके पिता वेदपाल द्वारा वसीयत के द्वारा उन्हें प्रदान की गई है, जिसपर उनका कब्जा चला आ रहा है, अतः उन्हें वाद में पक्षकार बनाया जाय। अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 23–10–2007 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद में निगरानीकर्तागण को पक्षकार बनाया गया तथा जबाव दावा प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। जबाव दावा प्रस्तुत न करने के कारण अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 18–10–2008 से जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 18–10–2008 को निरस्त करने तथा जबाव दावा प्रस्तुत करने का समय प्रदान किये जाने हेतु निगरानीकर्तागण ने अवर न्यायालय में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 21–02–2009 से अवर न्यायलाय ने निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने निगरानी अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत की जिसे आदेश दिनांक 04–05–2011 से विद्वान अपर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय में निगरानीकर्तागण को जबाव दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय में उभयपक्षों की सुनवाई के उपरान्त उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, हरिद्वार ने अपने आदेश दिनांक 15–09–2011 से इस विवेचना सहित कि प्रतिवादी संख्या–5, 6 व 7 का कोई भी हक वाद पत्र में वर्णित सम्पत्ति में नहीं बनता है। प्रश्नगत सम्पत्ति में वादी का 1/4 व प्रतिवादी 01 से 03 प्रत्येक का 1/4 भाग है ऐसी दशा में धारा–176 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत पक्षों के मध्य कुर्रे का नामान्तरण वाद स्वीकार किया जाता है पत्रावली वास्ते दाखिल किये जाने कुर्रे दिनांक

23–09–2011 को पेशे हो। सहायक कलेक्टर के आदेश दिनांक 15–09–2011 के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 12–02–2014 से निरस्त कर दी। सहायक कलेक्टर, हरिद्वार एवं अपर आयुक्त के निर्णयादेशों के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों को सुना एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्तागणों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अवर न्यायालयों ने निगरानीकर्तागणों को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि में वीरेन्द्र पाल का कोई हिस्सा नहीं है। अवर न्यायालय में वाद गलत तथ्यों के आधार पर योजित किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि उनके कब्जे में है तथा निगरानीकर्तागण का प्रश्नगत भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है। निगरानीकर्तागण ने अवर न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे स्वीकार किया गया तथा निगरानीकर्तागण को जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दिनांक 15–07–2008 को निगरानीकर्तागण द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु सहायक कलेक्टर ने बिना किसी आधार के दिनांक 18–10–2008 को जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया जिसके विरूद्व निगरानीकर्तागण ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 21–02–2009 से निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व निगरानीकर्तागण ने अपर मुख्य राजस्व आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 04–05–2011 से आंशिक रूप से स्वीकार कर निगरानीकर्तागण को जबावदावा प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण सहायक कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किया गया। अवर न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण का कोई साक्ष्य नही लिया गया और निगरानीकर्तागण को भी साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश व डिक्री पारित कर दी गई। निगरानीकर्तागण को प्रश्नगत भूमि में अपना हिस्सा व हक साबित करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था परन्तु सहायक कलेक्टर न्यायालय ने अपनी स्वंय की बनाई गई धारणाओं पर आधारित होकर क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर आदेश व डिक्री पारित की है। अवर अपीलीय न्यायालय ने भी बिना किसी आधार के ही अपील निरस्त कर दी और सहायक कलेक्टर के आदेश की पुष्टि कर दी गई। निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है एवं सहायक कलेक्टर, हरिद्वार एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदातागण का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि के मूल भूमिधर वेदपाल थे। उनके चार लड़के थे जिसमें से एक निगरानी के प्रतिपक्षी संख्या–1 व 2 के पिता तथा प्रतिउत्तरदाता संख्या–3 के पति स्व0 वीरेन्द्र पाल सिंह भी थे। विरासत के आधार पर उनका इस भूमि पर 1/4 भाग बनता है तथा अपने अंश निर्धारण हेतु ही उनके द्वारा बँटवारा वाद प्रस्तुत किया गया था। निगरानीकर्तागण फर्जी वसीयत के आधार पर उनका हिस्सा हड़पना चाहते हैं। अवर न्यायालय द्वारा सभी भाईयों का विवादित भूमि में समान अंश होने के कारण आदेश/प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है। सुनवाई के दौरान अवर न्यायालय में निगरानीकर्तागण का साक्ष्य/डब्लू0एस0 लिया गया है तथा प्रारम्भिक डिक्री उसी के आधार पर पारित की गई है। जिस फर्जी वसीयत के आधार पर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपना अधिकार बताया गया है उसके सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण एवं प्रतिउत्तरदातागण के मध्य मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटीशन योजित हुई थी जिसमें निगरानीकर्तागण ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि वे सम्बन्धित वसीयत के आधार पर अपना कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। निगरानी निराधार है एवं निरस्त होने योग्य है। अवर न्यायालयों के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने आर0डी0

2011(114) पृष्ठ–631 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की गई।

मैंने अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियों का अवलोकन किया। अवर न्यायालय की पत्रावली पेपर संख्या–15/1 जो अमित कुमार, पंकज सौरायन एवं अभिनव पुत्रगण योगेन्द्र पाल ने अन्तर्गत आदेश–01 नियम–10 धारा–151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत किया गया है उसमें उल्लेख किया गया है कि वेदपाल के चार लड़के हैं लेकिन उक्त वेदपाल सिंह ने अपने लड़के विरेन्द्रपाल सिंह से खिन्न होकर अपनी कुल सम्पत्ति का 1/4 भाग जो विरेन्द्रपाल सिंह को प्राप्त होना था एक वसीयत प्रार्थीगणों के नाम दिनांक 25–08–2005 को कर दी है। इस प्रकार प्रश्नगत सम्पत्ति में उनका हित निहित है। अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाय। उक्त प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की बहस सुनने के उपरान्त विद्वान सहायक कलेक्टर ने उसे दिनांक 25–07–2007 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्तागणों ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे आदेश दिनांक 23–10–2007 से स्वीकार करते हुए उन्हें पक्षकार बनाया गया। निगरानीकर्तागणों द्वारा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उनका प्रतिवाद पत्र दाखिल करने का अवसर आदेश दिनांक 18–10–2008 को समाप्त किया गया तथा आदेश दिनांक 21–02–2009 से भी आदेश दिनांक 18–10–2008 को ही स्थापित किया गया। आदेश दिनांक 21–02–2009 के विरूद्व निगरानीकर्तागणों ने एक निगरानी तत्कालीन अपर मुख्य राजस्व आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे आदेश दिनांक 04–05–2011 से स्वीकार करते हुए पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए वाद गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने के आदेश पारित किये गये। तदोपरान्त अवर न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश दिनांक 15–09–2011 पारित किया।

अवर न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि जिस वसीयत के आधार पर निगरानीकर्तागण अवर न्यायालय में पक्षकार बने थे उस वसीयत के खिलाफ एक वाद संख्या–80/2010 स्टेट बनाम पंकज आदि अन्तर्गत धारा–420ख 467, 468, 469, 471, 472 आई0पी0सी0 का सी0जे0एम0 न्यायालय, हरिद्वार में विचाराधीन था। उक्त वाद की कार्यवाही स्थगित करने हेतु निगरानीकर्तागणों ने मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में Criminal Misc.Application 410 वर्ष 2010 अमित पाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट व अन्य में प्रस्तुत किया जिसके साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि "

"That the deponent on behalf of all the apllicants undertakes and ensure before the Honb'le Court that the said will executed by Late Sri Ved Pal Singh in favour of applicants will be not used in any mutation/Civil Proceedings before any court of law "

उक्त शपथ पत्र के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा निम्न आदेश पारित किया गयाः–

"An affidavit sworn in by Yogendra Pal Singh petition n0. 5 has been filed on behalf of all the petitioners wherein at para 2 it has been stated that all the petitioners undertake and ensure that the Will executed by Ved Pal Singh in favour of the petitioners shall not be used in any mutation/civil proceeding before any Court of law. Learned Counsel for the petitoners also submitted that the dispute is only about the Will and petitioners shall not claim any right on the basis of the said Will.

Having heard the submission of learned Counsel for the parties and in view of the averments made in the aforsaid affidavit, it is hereby provided that till the next date of listing, proceedings in case no. 80/2010 state v.Pankaj and

Ors.... pending before the court of CJM, Haridwar shall remain stayed in relation to the petitioners. ''

उक्त से स्पष्ट है कि मूल वाद में निगरानीकर्तागण जो पक्षकार बने हैं वह इस वसीयत के आधार पर बने हैं तथा जब वे मा0 उच्च न्यायालय में इस वसीयत के सम्बन्ध में अपने शपथ पत्र में उपरोक्त टिप्पणी अंकित कर चुके हैं, जिसके आधार पर सी0जे0एम0, हरिद्वार के यहां विचाराधीन वाद की कार्यवाही स्थगित रखी गई है तो उनके द्वारा किस आधार पर मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 15–09–2011 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है तथा निगरानी में भी उक्त तथ्यों को छिपाया गया है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रतिपक्षी/वादी द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्था 2011(114) आर0डी0 631 मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय रिखदेव व अन्य बनाम ए0डी0एम0(एफ) आजमगढ़ व अन्य इस प्रकरण पर सटीक बैठता है तथा निगरानीकर्तागणों को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निगरानी प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी निरस्त होने योग्य है तथा अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 15–09–2011 स्थिर रहने योग्य है।

आदेश

निगरानी निरस्त की जाती है। आदेश दिनांक 15–09–2011 की पुष्टि की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित की जाय।

15.5.15

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 15.5.15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

15.5.15

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।